# ग्रामीण विकास मंत्रालय

## मांग संख्या 88

## भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | | संशोधित 2022-2023 | | | बजट 2023-2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 1464.82 | ... | 1464.82 | 2259.34 | ... | 2259.34 | 1260.00 | ... | 1260.00 | 2417.97 | 1.26 | 2419.23 |
| *वसूलियां* | *-254.95* | ... | -254.95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| *प्राप्तियां* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **निवल** | **1209.87** | **...** | **1209.87** | **2259.34** | **...** | **2259.34** | **1260.00** | **...** | **1260.00** | **2417.97** | **1.26** | **2419.23** |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| **केंद्र का व्यय** | | | | | | | | | | | | |
| **केन्द्र का स्थापना व्यय** | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | 18.85 | ... | 18.85 | 20.09 | ... | 20.09 | 20.67 | ... | 20.67 | 22.22 | 1.26 | 23.48 |
| | -0.03 | ... | -0.03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| *निवल* | *18.82* | *...* | *18.82* | *20.09* | *...* | *20.09* | *20.67* | *...* | *20.67* | *22.22* | *1.26* | *23.48* |
| **केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं** | | | | | | | | | | | | |
| **डिजिटल इंडिया पहल-भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम** | | | | | | | | | | | | |
| 2. भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम | 250.02 | ... | 250.02 | 239.25 | ... | 239.25 | 239.25 | ... | 239.25 | 195.75 | ... | 195.75 |
| **राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण** | | | | | | | | | | | | |
| **केंद्र प्रायोजित योजनाएं** | | | | | | | | | | | | |
| **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** | | | | | | | | | | | | |
| *3. एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम* | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 कार्यक्रम घटक | 1193.06 | ... | 1193.06 | 1982.12 | ... | 1982.12 | 994.48 | ... | 994.48 | ... | ... | ... |
| | -254.92 | ... | -254.92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| *निवल* | *938.14* | *...* | *938.14* | *1982.12* | *...* | *1982.12* | *994.48* | *...* | *994.48* | *...* | *...* | *...* |
| 3.02 इएपी घटक | 2.89 | ... | 2.89 | 17.88 | ... | 17.88 | 5.60 | ... | 5.60 | ... | ... | ... |
| *जोड़- एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम* | *941.03* | *...* | *941.03* | *2000.00* | *...* | *2000.00* | *1000.08* | *...* | *1000.08* | *...* | *...* | *...* |
| *4. वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 कार्यक्रम घटक | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2181.00 | ... | 2181.00 |
| 4.02 ईएपी घटक | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19.00 | ... | 19.00 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | | संशोधित 2022-2023 | | | बजट 2023-2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| *जोड़- वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | *2200.00* | ... | *2200.00* |
| **जोड़-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** | **941.03** | **...** | **941.03** | **2000.00** | **...** | **2000.00** | **1000.08** | **...** | **1000.08** | **2200.00** | **...** | **2200.00** |
| **जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं** | **941.03** | **...** | **941.03** | **2000.00** | **...** | **2000.00** | **1000.08** | **...** | **1000.08** | **2200.00** | **...** | **2200.00** |
| ***कुल जोड़*** | ***1209.87*** | ***...*** | ***1209.87*** | ***2259.34*** | ***...*** | ***2259.34*** | ***1260.00*** | ***...*** | ***1260.00*** | ***2417.97*** | ***1.26*** | ***2419.23*** |
| **ख. विकास शीर्ष** | | | | | | | | | | | | |
| **आर्थिक सेवाएं** | | | | | | | | | | | | |
| 1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 28.14 | ... | 28.14 | 59.00 | ... | 59.00 | 19.61 | ... | 19.61 | 68.28 | ... | 68.28 |
| 2. भूमि सुधार | 250.02 | ... | 250.02 | 215.33 | ... | 215.33 | 215.33 | ... | 215.33 | 176.17 | ... | 176.17 |
| 3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 18.82 | ... | 18.82 | 20.09 | ... | 20.09 | 20.67 | ... | 20.67 | 22.22 | ... | 22.22 |
| 4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.26 | 1.26 |
| **जोड़-आर्थिक सेवाएं** | **296.98** | **...** | **296.98** | **294.42** | **...** | **294.42** | **255.61** | **...** | **255.61** | **266.67** | **1.26** | **267.93** |
| **अन्य** | | | | | | | | | | | | |
| 5. पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 223.92 | ... | 223.92 | 125.78 | ... | 125.78 | 239.58 | ... | 239.58 |
| 6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 901.02 | ... | 901.02 | 1697.00 | ... | 1697.00 | 869.08 | ... | 869.08 | 1864.22 | ... | 1864.22 |
| 7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | 11.87 | ... | 11.87 | 44.00 | ... | 44.00 | 9.53 | ... | 9.53 | 47.50 | ... | 47.50 |
| **जोड़-अन्य** | **912.89** | **...** | **912.89** | **1964.92** | **...** | **1964.92** | **1004.39** | **...** | **1004.39** | **2151.30** | **...** | **2151.30** |
| **कुल जोड़** | **1209.87** | **...** | **1209.87** | **2259.34** | **...** | **2259.34** | **1260.00** | **...** | **1260.00** | **2417.97** | **1.26** | **2419.23** |

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग की सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम:** डीआईएलआरएमपी के तत्वावधान में एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली

भूमि संसाधन विभाग का प्रयास डीआईएलआरएमपी के तत्वावधान में देश के सभी जिलों में एक उचित एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएलआईएमएस) तैयार करना है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ भूमि संबंधी रीयल टाइम सूचना में सुधार होगा, भूमि संसाधनों का ईष्टतम उपयोग होगा, भू-स्वामियों और भावी खरीदारों को लाभ होगा, नीति और नियोजन में सहायता मिलेगी, भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी, धोखाधड़ीपूर्ण और बेनामी लेनदेनों में कमी आएगी, सामाजिक आर्थिक कार्यकलापों और लिंकेज के लिए सहायक बनेगी, किसी भी भूखंड की उचित और व्यापक स्थिति की सभी उपलब्ध और संगत जानकारी भू स्वामियों,संबंधित कार्यालयों एजेंसियों और हितबद्ध व्यक्तियों उद्यमियों को एक ही नजर में ऑनलाइन सिंगल विंडो पर मिल सकेगी।

इस विभाग का उद्देश्य विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या जो नागरिकों को एकीकृत भूमि सेवाएं प्रदान करने हेतु किसी भूखंड या संपत्ति संबंधी सूचना की वास्तविकता का एक मात्र अधिकृत स्रोत है, और राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) जो देश भर में रजिस्ट्रीकरण विभाग के लिए तैयार की गई एक सामान्य, जेनेरिक और कान्फ़िग्रेबल एप्लिकेशन है, जैसी पहलों के माध्यम से भूमि शासन के क्षेत्र में निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है।

3. **एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम:** प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक

(क) (i) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आईडब्ल्यूएमपी को वर्ष 2015 16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक डब्ल्यूडीसी रूप में मिला दिया गया। डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई वर्षा सिंचित तथा अवक्रमित भूमि का विकास के लिए कार्यक्रम है। आईडबल्यूएमपी के तहत, वर्ष 2009 10 से 2014 15 के दौरान 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 28 राज्यों अब 27 राज्य तथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का संघ राज्य क्षेत्र में 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। योजना के आरंभ से, केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्यों को 19926.69 करोड़ रु. जारी किए गए। योजना को दिनांक 31.03.2022 को समाप्त कर दिया गया।

ख. (ii) डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई योजना के माध्यम से, 36.34 लाख किसान लाभान्वित हुए, 16.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त संरक्षणात्मक सिंचाई के तहत लाया गया तथा वर्ष 2015 16 से 7.65 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण पुनरुद्धार किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018 19 से, 388.66 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए, 1.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण के तहत लाया गया तथा 3.36 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि क्षेत्र को उपरोक्त योजना के तहत कृषि योग्य बनाया गया।

(iii) सीसीईए ने वर्ष 2021 22 से 2025 26 तक की अवधि के लिए 4.95 मिलियन हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्य तथा 8,134 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के सांकेतिक वित्तीय परिव्यय के साथ डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई को जारी रखने को अनुमोदित किया। तदनुसार,

डब्ल्यूडीसी 2.0 के लिए कार्यक्रम दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के अनुमोदन से राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिया गया है।

(iv) डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई 2.0 में, वर्षा सिंचित तथा अवक्रमित भूमि के विकास करते समय, मृदा तथा नमी संरक्षण, मृदा अपवाह तथा भूमिगत जल स्तर पुनर्भरण, फसलों में विविधिकरण, फसलन गहनता में वृद्धि, फसल क्षेत्र में वृद्धि, किसानों के आय, लाभान्वित किसानों की संख्या में वृद्धि, संरक्षणात्मक सिंचाई के तहत लाए गए क्षेत्र तथा सृजित मानव दिवस की संख्या में वृद्धि आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई 2.0 के माध्यम से इस विभाग द्वारा दिनांक 30.09.2022 तक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 1142.25 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। मंत्रिमंडल के लिए नोट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 24 के लिए बजट अनुमान 2200.00 करोड़ रु. है।

(v) भूमि अवक्रमण शून्यता (एलडीएन) लक्ष्यों, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने हेतु भारत की प्रतिबद्धता के महत्व और किसानों की आय को दोगुना करने संबंधी स्कीम की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए विभाग 2025-26 तक डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 को पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहा है।

(ख) अभिनव विकास के माध्यम से कृषीय समुत्थान हेतु वाटरशेड नवीकरण रिवार्ड पर विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम

(i) विश्व बैंक सहायता प्राप्त रिवार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर्नाटक और ओडिशा में किया जा रहा है। रिवार्ड कार्यक्रम का उद्देश्य भाग लेने वाले राज्यों के चयनित वाटरशेडों में किसानों के समुत्थान और समर्थन परिमाण श्रृंखलाओं में वृद्धि करने के लिए बेहतर वाटरशेड प्रबंधन को अपनाने हेतु राष्ट्रीय और राज्य संस्थाओं की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। यह कार्यक्रम दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात वाटरशेड विकास के लिए सुदृढ़ संस्थाएं और सहायक नीति तथा जलवायु अनुकूलनीयता और वर्धित आजीविकाओं के लिए विज्ञान आधारित वाटरशेड विकास पर बल देता है।

(ii) विश्व बैंक बोर्ड ने दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को इस कार्यक्रम को मंजूरी दी और तदनन्तर, दिनांक 18 फरवरी, 2022 को भारत सरकार, विश्व बैंक तथा भागीदार राज्यों के बीच ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, विश्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च, 2022 को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। भूमि संसाधन विभाग और दो भागीदार राज्यों के लिए कार्यक्रम की कुल लागत, वित्तीय वर्ष 2021 22 से 2025 26 तक 4.5 वर्ष की कार्यक्रम अवधि के लिए, 167.71 मिलियन अमरीकी डॉलर 04.11.2020 की स्थिति के अनुसार एक अमरीकी डॉलर 73.24 रुपए की दर से 1228.31 करोड़ रुपए है। कुल बजट में विश्व बैंक से 115 मिलियन अमरीकी डॉलर कर्नाटक 60 मिलियन अमरीकी डॉलर, ओडिशा 49 मिलियन अमरीकी डॉलर और भूमि संसाधन विभाग 6 मिलियन अमरीकी डॉलर, दो राज्यों से 46.71 मिलियन अमरीकी डॉलर कर्नाटक 25.71 मिलियन अमरीकी डॉलर और ओडिशा 21.0 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा भूमि संसाधन विभाग से 6 मिलियन अमरीकी डॉलर शामिल हैं।

(iii) वित्त वर्ष 2022 23 के लिए रिवार्ड कार्यक्रम हेतु एक पृथक बजट शीर्ष सृजित किया गया है और भूमि संसाधन विभाग के स्तर पर 17.60 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। केन्द्रीय स्तर पर, रिवार्ड कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रबंधन, निगरानी, संचार और जानकारी को साझा करने का कार्य शामिल किया गया है। भूमि संसाधन विभाग की विशिष्ट भूमिका बेहतर वाटरशेड प्रबंधन और राज्यों को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी मानकों को अद्यतन करना है।